

Proposal NO. FP/UP/Thermal/14236/2015

**कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर**  
**पत्रांक:सा0-1334 / मी0क्षे0 / 33/ दिनांक, मीरजापुर, अक्टूबर 01, 2018**

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
मीरजापुर वन प्रभाग,  
मीरजापुर।

**विषय—** बेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम—ददरी खुर्द, तहसील—सदर, जिला—मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 (2 x 660) मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत भूमिगत वाटर पाइप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ—** मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ पत्रांक 469/11—सी एफसी/यू0पी0/थर्मल /14236/2015 लखनऊ दिनांक 29.08.2018 तथा आपका प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर का पत्रांक 1118/मीरजापुर/33 दिनांक 20.09.2018

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उ0प्र0 शासन का पत्रांक— 2691/14-2-2018-800(64)/2016 दिनांक 27.08.2018 तथा उनमें उल्लिखित भारत सरकार के पत्रांक 8बी/08/38/2016/एफ0सी/478 दिनांक 11.01.2017 में उल्लिखित बिन्दु संख्या-3 पर वांछित आख्या तीन प्रतियों में इस कार्यालय प्रेषित किया गया है। प्रेषित किये गये आख्या में संलग्नक स्थलीय निरीक्षण में किस तिथि को किया गया उल्लेख नहीं है तथा प्रस्तावक विभाग के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर भी नहीं है।

प्रेषित आख्या के साथ संलग्नक प्रस्तावक के पत्र दिनांक 30.08.2018 में उल्लेख किया गया है कि Hence, we are approaching the authorities for required clearances and revalidation of EC. इस प्रकार प्रकरण में जब तक फ्रेश क्लीरेन्स नहीं मिल जाता तब तक प्रस्ताव पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में अपनी औचित्यपूर्ण टिप्पणी दें।

अतः विषयक प्रकरण में भारत सरकार के पत्र के आलोक जो निम्न प्रकार उद्धृत है "In pursuance of order of Hon'ble NGT is appeal no. 79/2004; Department of Forest:UP may review its stand on the proposal" पर आख्या/टिप्पणी संस्तुति सहित स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आप द्वारा प्रेषित आख्या मूल में संलग्न है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डा0प्रभाकर दूबे) 1/10/18  
मुख्य वन संरक्षक,  
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर